पत्रांक–05 / बी01–03 / 2011
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक।
निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना।
पुस्तकालय अधीक्षक, बिहार, पटना ।
निदेशक, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना ।
निदेशक, के0 पी0 जायसवाल शोध संस्थान, पटना ।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)
निदेशक, प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली
निदेशक, मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, दरभंगा
निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना
सचिव, प्रक्षेत्रीय पर्यालोचन अभिलेख समिति,पटना ।
प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग / गुलजारबाग, पटना
सभी प्राचार्य, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
प्राचार्य, मदरसा इस्लामियाँ शमसूल होदा, पटना
निदेशक, अरबी, फारसी शोध संस्थान, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः– वित्तीय वर्ष 2014–2015 का जून (प्री0), 2014 तक व्यय की गई राशि का प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वरीय लेखा अधिकार, महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक––(2014–15)–228 एवं 244 दिनांक–22.08.2014 के प्रसंग में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान जून (प्री0) 2014 तक आपके कार्यालय में व्यय की गई राशि के ऑकड़े का सत्यापन महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से कराना है। बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475 के आलोक में प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी है कि वे अपने लेखा सत्यापन प्रत्येक तिमाही में महालेखाकार बिहार के कार्यालय से अवश्य करा लेना सुनिश्चित करें।

(2) उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान माह जून (प्री0) 2014 तक प्राप्ति एवं व्यय के ऑकड़ो का सत्यापन अपने कार्यालय के अभिलेख के आधार पर महालेखाकार (ले0 एवं भी0 एल0 सी0) बिहार, पटना के कार्यालय से मिलान कराना सुनिश्चित किया जाये, तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाय।

(3) कृपया उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब महालेखाकार कार्यालय से सत्यापन कराकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय, कि जून (प्री0) 2014 तक व्यय की गई राशि का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय में दर्ज ऑकड़ो से कर लिया गया है। यदि इसमे किसी प्रकार भिन्नता पाई जाती है तो आप के उपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(4) इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाये अन्यथा प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी सारी जबावदेही आपकी होगी।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(सुनील कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 157 पटना, दिनांकः– 10/9/14

प्रतिलिपिः– निदेशक, मध्याह्न भोजन/निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा)/निदेशक, (उच्च शिक्षा)/निदेशक, (जन शिक्षा)/निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण/सभी अवर सचिव–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सभी लेखापाल/रोकड़पाल, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी वित्तीय वर्ष 2014–15 के माह जून (प्री0), 2014 के अंत तक व्यय के ऑकड़ो का लेखा सत्यापन का कार्य सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

(2) संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वरीय लेखा अधिकारी महालेखाकार (लेखा एवं भी0 एल0 सी0), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–(2014–15)–228 एवं 244 दिनांक–22.08.2014 के आलोक में/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 9/9/15

(सुनील कुमार सिंह),
संयुक्त सचिव।

संजीव 9/9/14